न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1910–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–5–12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 172/निग0/10–11.

1– सत्यराज सिंह तनय श्री अमान सिंह बघेल
निवासी ग्राम त्यौथरी तहसील अमरपाटन
जिला सतना म.प्र.
2– पेशकार सिंह तनय श्री धर्मराज सिंह बघेल
निवास ग्राम त्योंथरी, रामपुर बघेलान
तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– देवेन्द्र सिंह तनय श्री आदित्य प्रताप सिंह
निवासी ग्राम त्यौथरी तहसील अमरपाटन
जिला सतना म.प्र.
2– म.प्र. शासन ——— अनावेदकगण

श्री अनूपदेव पाण्डे, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 06 अगस्त 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 172/निग0/10–11 में पारित आदेश दिनांक 29–5–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– प्रकरण में सुनवाई दिनांक 13–5–14 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के उपरांत भी उन्हें 10 दिवस का समय लिखित तर्क हेतु दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क पेश नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का

निराकरण निगरानी मेमो में दिए गए आधारों पर अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर किया जा रहा है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक परिवेदित पक्षकार नहीं है आवेदक सीमांकन कार्यवाही में स्वयं उपस्थित रहा है किंतु उसके द्वारा पंचनामे में हस्ताक्षर नहीं किए गए । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5– आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का होकर कलेक्टर के आदेश में यह वर्णित है कि दिनांक 28–5–09 को निगरानीकर्ता की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही हुई और उसकी पुष्टि 20–6–09 को की गई है । स्थल पंचनामा में सभी के हस्ताक्षर हैं किंतु आवेदक सत्यराज सिंह ने सूचनापत्र पर हस्ताक्षर होते हुए भी पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसका कारण यह है कि सीमांकन में उनका क्षेत्रफल दब रहा था इसलिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई । अपर आयुक्त ने भी अपने आलोच्य आदेश में समस्त परिस्थितियों को वर्णित करते हुए जिलाध्यक्ष के आदेश को स्थिर रखा गया है । प्रकरण के अवलोकन से ऐसा कोई बिंदु प्रतीत नहीं होता है जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो । आलोच्य आदेश पूर्णतया न्यायिक प्रकिया के अनुसार और सुसंगत आधारों पर पारित किया गया है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार यह पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर